

पटना में दिनांक-27 मार्च, 2018 मंगलवार को अपराह्न 06:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

नगर विकास एवं आवास विभाग

- |    |   |    |          |
|----|---|----|----------|
| 1. | मधुबनी नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत Storm Water Drainage योजना के कार्यान्वयन हेतु सेंटेज सहित ₹ 10365.00 लाख (एक सौ तीन करोड़ पैंसठ लाख रू०) की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए बुडको को कार्यकारी एजेंसी नामित करने की स्वीकृति के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

नगर विकास एवं आवास विभाग

- |    |   |    |          |
|----|---|----|----------|
| 2. | केन्द्र प्रायोजित AMRUT योजना के अधीन पूर्णिया जलापूर्ति योजना फेज-II की प्राक्कलित राशि रू० 9371.04 लाख (तिरानवे करोड़ एकहत्तर लाख चार हजार रू० मात्र) एवं मुजफ्फरपुर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की प्राक्कलित राशि रू० 15841.69 लाख (एक अरब अठावन करोड़ इक्तालिस लाख उनहत्तर हजार रू० मात्र) का व्यय और बुडा को AMRUT योजना का राज्य मिशन निदेशालय के रूप में नामित करने की प्रशासनिक स्वीकृति। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

पथ निर्माण विभाग

- |    |   |    |          |
|----|---|----|----------|
| 3. | पटना में गंगा नदी के किनारे गंगा पथ (दीघा से दीदारगंज) (लंबाई 20.5 कि०मी०) के निर्माण कार्य हेतु कुल 2000.00 करोड़ (दो हजार करोड़) रूपये मात्र का ऋण HUDCO (Housing and Urban Development Corporation Ltd.) से प्राप्त करने तथा परियोजना के निर्माण हेतु 3111.92 करोड़ (रूपये तीन हजार एक सौ ग्यारह करोड़ बानवे लाख) एवं भू-अर्जन Utility Shifting, EMP, R&R इत्यादि हेतु रू० 278.08 करोड़ अर्थात् कुल रू० 3390.00 करोड़ (रूपये तीन हजार तीन सौ नब्बे करोड़) रूपये के पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

- |    |   |    |          |
|----|---|----|----------|
| 4. | नालन्दा जिला में स्थापित एवं संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, अस्थावां (नालन्दा) के भवनों के निर्माण कार्यों का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू० 1851.809 लाख (अठारह करोड़ एकावन लाख अस्सी हजार नौ सौ रूपये) मात्र का प्रथम पुनरीक्षण के फलस्वरूप पुनरीक्षित योजना लागत रू० 2550.75 लाख (पच्चीस करोड़ पचास लाख पचहत्तर हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। | 4. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

### सूचना प्रावैधिकी विभाग

5. सूचना प्रावैधिकी विभाग में परामर्शियों के पदों के पुनर्गठन एवं सेवाशर्तों के निर्धारण के संबंध में। 5. स्वीकृत।

### कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

6. मिथिला लोक कला एवं अन्य लोक कलाओं के समग्र विकास, अध्ययन, शोध, अभिलेखीकरण, प्रदर्शन, पोषण, प्रचार-प्रसार के निमित्त मधुबनी जिला के सौराठ में मिथिला चित्रकला संस्थान के लिए भवन निर्माण हेतु राशि ₹2748.582 लाख (सताईस करोड़ अड़तालीस लाख अठावन हजार दो सौ रूपये) मात्र एवं मिथिला ललित संग्रहालय, सौराठ के भवन निर्माण हेतु राशि ₹1326.613 लाख (तेरह करोड़ छब्बीस लाख एकसठ हजार तीन सौ रूपये) मात्र अर्थात् कुल राशि ₹4075.195 लाख (चालीस करोड़ पचहत्तर लाख उन्नीस हजार पांच सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 6. स्वीकृत।

### सहकारिता विभाग

7. सहकारिता विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे विभिन्न दायित्वों के निर्वहन हेतु इसके अंतर्गत बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ से लेकर प्रोन्नति के प्रथम स्तर उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, द्वितीय स्तर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ के पदों को पुनर्गठित करने के संबंध में। 7. स्वीकृत।

### वित्त विभाग

8. वित्त विभाग के अधीन अंकेक्षण निदेशालय के लिए निदेशक का 01 (एक) गैर संवर्गीय पद तथा बिहार अंकेक्षण सेवा के पदसोपान के विभिन्न कोटि के 1146 आवश्यक पदों के सृजन एवं पूर्व के पदसोपान में स्वीकृत/सृजित 223 पदों को प्रत्यार्पित किये जाने के संबंध में। 8. स्वीकृत।

### विधि विभाग

10. न्यायमंडल, सासाराम (रोहतास) के अधीन विक्रमगंज अनुमंडलीय न्यायालय में एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के लिए वर्ग-3 एवं वर्ग-4 कोटि के अराजपत्रित कर्मियों के कुल-8(आठ) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 10. स्वीकृत।

### विधि विभाग

11. न्यायमंडल, गया के अधीन शेरघाटी अनुमंडलीय न्यायालय में एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के लिए वर्ग-3 एवं वर्ग-4 कोटि के अराजपत्रित कर्मियों के कुल-8 (आठ) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 11. स्वीकृत।

### नगर विकास एवं आवास विभाग

12. वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के नगर निकायों के बकाए विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल ₹81.00 करोड़ (एकसौ करोड़ रू०) की राशि सहायक अनुदान के रूप में व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में। 12. स्वीकृत।

### जल संसाधन विभाग

13. Consultancy Services for Preparation of DPR for optimum utilization of effluent treated water from the proposed STP at Digha, Patna for irrigation purpose using modern techniques mainly through natural drains and existing canal system का कार्य (परामर्शी सेवा पर व्यय की जानेवाली राशि ₹42.00 लाख, बयालीस लाख रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव। 13. स्वीकृत।

### विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

14. गया में तारामंडल के निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए भारत सरकार का उपक्रम National Council of Science Museums (NCSM) को परामर्शी मनोनित करने की स्वीकृति तथा उक्त कार्यों का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने हेतु अनुमानित कुल पूँजीगत लागत रू० 28.80 करोड़ (अठ्ठाईस करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र का 2 प्रतिशत (2%) राशि अर्थात् रू० 57.60 लाख (संतावन लाख साठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 14. स्वीकृत।

### सामान्य प्रशासन विभाग

15. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना के लिए पूर्व से स्वीकृत 82 पदों के अतिरिक्त आई०टी० प्रबंधक के 31 नये पदों के सृजन के संबंध में। 15. स्वीकृत।

### मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय)

16. बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा वर्ष 2013 में स्थायी पद के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजित छः पुराभिलेखपालों का दिनांक-15.04.2018 से अगामी एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में। 16. स्वीकृत।

**शिक्षा विभाग**

17. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की संशोधित मार्गदर्शिका पर स्वीकृति के संबंध में। 17. स्वीकृत।

**शिक्षा विभाग**

18. वित्तीय वर्ष 2017-18 में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2017-18 के माह फरवरी एवं मार्च 2018 का वेतन भुगतान हेतु केन्द्रांश प्राप्ति की प्रत्याशा में राज्यांश मद में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि ₹13,00,00,00,000/- (तेरह अरब रुपये) की सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति। 18. स्वीकृत।

**शिक्षा विभाग**

19. वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों (पटना विश्वविद्यालय, पटना एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को छोड़कर) से सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेतर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के बकाया सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु रुपये 438,01,03,869/- (चार सौ अड़तीस करोड़ एक लाख तीन हजार आठ सौ उनहत्तर) मात्र तथा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा को आउटसोर्सिंग हेतु रुपये 10,00,000/- (दस लाख) अर्थात् गैर-वेतनादि मद में कुल रुपये 438,11,03,869/- (चार सौ अड़तीस करोड़ ग्यारह लाख तीन हजार आठ सौ उनहत्तर) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 19. स्वीकृत।

**शिक्षा विभाग**

20. वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात् संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता/अनुदान दिये जाने के नीतिगत निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में गैर योजनान्तर्गत रुपये 125,00,00,000/- (एक अरब पच्चीस करोड़) मात्र उपबंधित राशि में से 89,29,95,500/- (नवासी करोड़ उनतीस लाख पनचानबे हजार पांच सौ) रुपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। 20. स्वीकृत।

**सूचना प्रावैधिकी विभाग**

21. दिनांक-09.01.2018 से 08.01.2019 तक की अवधि के लिए Sec.LAN FMS परियोजना का अवधि विस्तार करते हुए इसका क्रियान्वयन System Integrator Agency M/s Wipro से कराने हेतु राशि ₹2,84,08,524.00 (दो करोड़ चौरासी लाख आठ हजार पाँच सौ चौबीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 21. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

22. Sec.LAN 2.0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कुल प्राक्कलित राशि ₹ 52,26,00,000.00 (बावन करोड़ छब्बीस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 22. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

23. भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत 100% अनुमानित लागत परियोजना व्यय के तहत पटना शहर के पहाड़ी सिवरेज जोन-IV\_A(S) में 87.69 KM Sewerage Network के निर्माण हेतु अनुमानित लागत कुल ₹ 190.908 करोड़ (एक सौ नब्बे करोड़ नब्बे लाख अस्सी हजार ₹ 0 मात्र) जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृति राशि 184.86 करोड़ रुपये (एक सौ चौरासी करोड़ छियासी लाख ₹ 0 मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार की ओर से सेंटेंज की राशि कुल 6.048 करोड़ ₹ 0 (छः करोड़ चार लाख अस्सी हजार ₹ 0 मात्र) के व्यय की स्वीकृति। 23. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

24. भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत 100% अनुमानित लागत परियोजना व्यय राशि 191.62 करोड़ ₹ 0 (एक करोड़ एकानवे लाख बासठ हजार ₹ 0 मात्र) रुपये पर पटना शहर में पहाड़ी सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (60MLD) योजना के निर्माण, योजना के क्रियान्वयन हेतु सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के भुगतान हेतु सेंटेंज की राशि 6.177 करोड़ ₹ 0 (छः करोड़ सतरह लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति। 24. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

25. भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत 100% अनुमानित लागत कुल ₹ 56.70 करोड़ रुपये (छप्पन करोड़ सत्तर लाख ₹ 0 मात्र) पर मोकामा शहर में Interception & Diversion एवं STP परियोजना के निर्माण हेतु जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 53.81 करोड़ रुपये (तिरपन करोड़ इक्कासी लाख ₹ 0 मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार के ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के भुगतान हेतु सेंटेंज की राशि कुल 2.89 करोड़ ₹ 0 (दो करोड़ नब्बासी लाख ₹ 0 मात्र) के व्यय की स्वीकृति। 25. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

26. भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत 100% अनुमानित लागत परियोजना व्यय के तहत पटना शहर के पहाड़ी सिवरेज 'जोन-V' परियोजना अन्तर्गत 115.93 KM Sewerage Network एवं 02 सिवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु अनुमानित लागत कुल रू० 372.75 करोड़ (तीन सौ बहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख रू० मात्र) जिसमें केन्द्रांश के रूप में निविदित राशि सहित स्वीकृत राशि 364.902 करोड़ रूपये (तीन सौ चौंसठ करोड़ नब्बे लाख बीस हजार रू० मात्र) के परियोजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार के ओर से सेंटेज की राशि कुल 7.85 करोड़ रू० (सात करोड़ पचासी लाख रू० मात्र) के व्यय की स्वीकृति।
26. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

27. भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत 100% अनुमानित लागत व्यय पर कुल रू० 63.43 करोड़ रूपये (तिरसठ करोड़ तेतालीस लाख रू० मात्र) पर सुल्तानगंज नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत Interception & Diversion (I&D) एवं STP के निर्माण हेतु अनुमानित लागत जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 60.22 करोड़ रूपये (साठ करोड़ बाईस लाख रू० मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार के ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के भुगतान हेतु सेंटेज की राशि कुल 3.21 करोड़ रू० (तीन करोड़ ईक्कीस लाख रू० मात्र) के व्यय की स्वीकृति।
27. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

28. भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत 100% अनुमानित लागत कुल रू० 61.38 करोड़ (एकसठ करोड़ अड़तीस लाख रू० मात्र) बाढ़ शहर के Interception & Diversion एवं STP परियोजना के निर्माण हेतु जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 58.27 करोड़ रूपये (अनठावन करोड़ सताइस लाख रू० मात्र) के योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार के ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के भुगतान हेतु सेंटेज की राशि कुल 3.11 करोड़ रूपये (तीन करोड़ ग्यारह लाख रूपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति।
28. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

29. भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत 100% अनुमानित लागत परियोजना व्यय के तहत पटना शहर के करमलीचक सिवरेज नेटवर्क परियोजना अन्तर्गत 96.54 KM Sewerage Network एवं 01 सिवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति हेतु कुल अनुमानित लागत राशि रु० 284.39 करोड़ (दो सौ चौरासी करोड़ उनतालीस लाख मात्र) जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 277.42 करोड़ रूपये (दो सौ सतहतर करोड़ बयालिस लाख रु० मात्र) के परियोजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार के ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के भुगतान हेतु सेंटेज की राशि कुल 6.97 करोड़ रु० (छः करोड़ सन्तानवे लाख मात्र) के व्यय की स्वीकृति।
29. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

30. भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत 100% अनुमानित लागत व्यय कुल रु० 64.029 करोड़ (चौसठ करोड़ दो लाख नब्बे हजार रु० मात्र) पर भागलपुर शहर के नौगछिया नगर पंचायत में Interception & Diversion (I&D) एवं STP के निर्माण हेतु केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 60.79 करोड़ रूपये (साठ करोड़ उनासी लाख रु० मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार के ओर से सेन्टेज की राशि कुल 3.239 करोड़ रु० (तीन करोड़ तेईस लाख नब्बे हजार रु० मात्र) व्यय की स्वीकृति।
30. स्वीकृत।

परिवहन विभाग

31. बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2018 के पूर्व प्रकाशित प्रारूप में संशोधनोंपरान्त प्रस्तावित नियमावली की स्वीकृति के संबंध में।
31. स्वीकृत।

परिवहन विभाग

32. बिहार सड़क सुरक्षा निधि नियमावली, 2018 के प्रारूप में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।
32. स्वीकृत।